रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082022-238055 CG-DL-E-12082022-238055

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] No. 550] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2022/श्रावण 20, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2022/SHRAVANA 20, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 624(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) चौथा संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के, नियम 3 में,-
 - (i) उप-नियम (1) में, "भारत में उपयोग के लिए पहुंच योग्य" शब्दों के स्थान पर "भारत में उपयोग के लिए हमेशा पहुंच योग्य" शब्दों को रखा जाएगा;
 - (ii) उप-नियम (5) में, परंतुक में, "आवधिक आधार" शब्दों के स्थान पर, "दैनिक आधार" शब्दों को रखा जाएगा;
 - (iii) उप-नियम (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(ङ) जहाँ सेवा प्रदाता भारत के बाहर अवस्थित है, वहाँ भारत में लेखा बहियों और अन्य बहियों और कागजों पर नियंत्रण वाले व्यक्ति का नाम और पता।"

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग-III]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

5427 GI/2022 (1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 407(अ), तारीख 31 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2022

- **G.S.R. 624(E).**—In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-
- 1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Fourth Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 3,-
 - (i) in sub-rule (1), for the words "accessible in India", the words "accessible in India, at all times," shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (5), in the proviso, for the words "periodic basis", the words "daily basis" shall be substituted;
 - (iii) in sub-rule (6), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(e) where the service provider is located outside India, the name and address of the person in control of the books of account and other books and papers in India.".

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and lastly amended, notification number G.S.R. 407(E), dated the 31st May, 2022.